



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112022-240362  
CG-DL-E-17112022-240362

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5127]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 17, 2022/कार्तिक 26, 1944

No. 5127]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 2022/KARTIKA 26, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2022

**का.आ. 5353(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ क की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग अहमदनगर-सोलापुर-अक्कलकोट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के कि.मी. ३०६.६०० से कि.मी. ३४४.४०० तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा ३ ग की उप-धारा (१) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, पाटोदा को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात्

तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा ३ ग की उप-धारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग अहमदनगर-सोलापुर-अक्कलकोट (ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सेक्शन) के कि.मी. ३०६.६०० से कि.मी. ३४४.४०० तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण (सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, पाटोदा, तालुका आष्टि, जिला बीड)

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: बीड			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: अष्टि					
गांव का नाम: पुंडी					
1	13 P	निजी	कृषि	0.2053000(एकर)	0.0830838
2	14 P	निजी	कृषि	0.8109000(हेक्टेयर)	0.8109000
3	15 P	निजी	कृषि	2.7577000(हेक्टेयर)	2.7577000
4	16 P	निजी	कृषि	1.8201000(हेक्टेयर)	1.8201000
5	17 P	निजी	कृषि	0.2970000(हेक्टेयर)	0.2970000
6	28 P	निजी	कृषि	0.0018000(हेक्टेयर)	0.0018000
7	6 P	निजी	कृषि	1.7866000(हेक्टेयर)	1.7866000
कुल				7.6794	7.5572

[फा. सं. NHAI/Ahmednagar/ASA/LA/2022/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2022

**S.O. 5353(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning/Six Laning etc.), maintenance, management and operation of Ahmednagar-Solapur-Akkalkot Greenfield Expressway in the stretch of land from Km 306.600 to Km 344.400

(Competent Authority of Land Acquisition & Sub Divisional Officer, Patoda, Taluka Ashti, District Beed) in the district of BEED in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Competent Authority of Land Acquisition & Sub Divisional Officer, Patoda** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

#### SCHEDULE

**Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km.306.600 to Km.344.400 Ahmednagar-Solapur-Akkalkot Greenfield Expressway Section (Competent Authority of Land Acquisition & Sub Divisional Officer, Patoda, Taluka Ashti, District Beed) in the district of BEED in the state of MAHARASHTRA**

State: MAHARASHTRA		District: BEED			
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Ashti					
Village: Pundi					
1	13 P	Private	Agricultural	0.2053000(Acre )	0.0830838
2	14 P	Private	Agricultural	0.8109000(Hectare )	0.8109000
3	15 P	Private	Agricultural	2.7577000(Hectare )	2.7577000
4	16 P	Private	Agricultural	1.8201000(Hectare )	1.8201000
5	17 P	Private	Agricultural	0.2970000(Hectare )	0.2970000
6	28 P	Private	Agricultural	0.0018000(Hectare )	0.0018000
7	6 P	Private	Agricultural	1.7866000(Hectare )	1.7866000
<b>Total</b>				<b>7.6794</b>	<b>7.5572</b>

[F. No. NHAI/Ahmednagar/ASA/LA/2022/3A]

RAJESH GUPTA, Director